रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19062026-273601
CG-DL-E-19062026-273601

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3066] नई दिल्ली, बुधवार, जून 17, 2026/ज्येष्ठ 27, 1948
No. 3066] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 17, 2026/JYAISTHA 27, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2026

का.आ. 3188(अ).— यतः, मै. फीनिक्स टेक ज़ोन प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मै. फीनिक्स एम्बसी टेक ज़ोन प्राइवेट लिमिटेड) ने तेलंगाना राज्य के नानकरामगुडा गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगा रेड्डी जिला में सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यत:, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त आधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित क्षेत्रों को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित एवं अनधिसूचित किया जिनका विवरण इस प्रकार है;

क्रम.स.	अधिसूचना संख्या	दिनांक	अधिसूचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अनधिसूचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	कुल परिणामी योग (हेक्टेयर में)
(i)	का.आ. 687(अ)	22.02.2017	3.95	-	3.95
(ii)	का.आ.2179(अ)	04.07.2017	2.30	-	6.25
(iii)	का.आ.1186(अ)	15.03.2022	-	0.469	5.781
(iv)	का.आ. 05(अ)	24.12.2024	-	3.167	2.614

और यतः, मै. फीनिक्स टेक ज़ोन प्राइवेट लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन के 2.614 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, तेलंगाना सरकार ने उनके पत्र संख्या आईटीईसी-13/आईटीएसजेड/1/2026-पदोन्नति दिनांक 6 अप्रैल, 2026 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है। अनधिसूचना के बाद, ऐसा विमुक्त क्षेत्र राज्य सरकार के भूमि उपयोग दिशा-निर्देशों/मास्टर स्थानों के अनुरूप होगा;

और यतः, विकास आयुक्त, विशाखापतनम विशेष आर्थिक जोन ने उक्त विशेष आर्थिक जोन के 2.614 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

अतः अब केंद सरकार, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उक्त अधिसूचना को इस उत्सादन से पूर्व किए गए कार्यों या किए जाने के लिए लोपित को छोड़कर, रद्द करती है।

[फा. सं. एफ.1/18/2016-एसईजेड]

विमल आनंद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2026

S.O. 3188(E).— Whereas, M/s. Phoenix Tech Zone Private Limited (formerly M/s. Phoenix Embassy Tech Zone Private Limited), had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology Enabled Services at Nanakramguda Village, Serilingampally Mandal, Ranga Reddy District in the State of Telangana;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified and de-notified the following areas at above Special Economic Zone as per the details given below: -

S. No.	Notification No.	Date	Notified Area (in hectares)	De-notified area (in hectares)	Total Area (in hectares)
(i)	S.O. 687(E)	22.02.2017	3.95	-	3.95
(ii)	S.O.2179(E)	04.07.2017	2.30	-	6.25
(iii)	S.O. 1186(E)	15.03.2022	-	0.469	5.781

(iv)	S.O. 05(E)	24.12.2024	-	3.167	2.614

AND, WHEREAS, M/s. Phoenix Tech Zone Private Limited has now proposed to de-notify the entire area of 2.614 hectares of the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Telangana has given No-Objection Certificate to the proposal vide letter No. ITEC-13/ITSZ/1/2026-Promotions dated 6th April, 2026. Further, after de-notification, such de-notified area will conform to land use guidelines/master places of the State Government;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Visakhapatnam Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of the entire area of 2.614 hectares of the Special Economic Zone;

NOW, THEREFORE, in the exercise of the powers conferred by the first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except for things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F.1/18/2016-SEZ]

VIMAL ANAND, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.06.19 00:42:51 +05'30'